

ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन गुणवत्ता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा सपोर्टेड ग्राहकता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: _____
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 23-02-2024
 वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: 23-2-24
2. ग्राम का नाम: रसूलपुर
 ग्राम पंचायत का नाम: रसूलपुर
 ब्लॉक का नाम: श्रीरंगगंज
 जिला का नाम: बलरघाट
 राज्य का नाम: (उ.प्र.)
 ग्राम जनगणना कोड: _____

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प
3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा: 0.2... (संख्या) मवेशी कुंओं को और 0.2... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्टैंडों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात 10... घंटे निर्धारित गुणवत्ता • वाले... एन पी सी डी जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध करने के लिए एक एच.टी.सी. प्रदान करना
 हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।
 यह संकल्प लिया जाता है कि पूजा लागत का 1% %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का अनुदान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
 (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पेय जल एवं स्वच्छता समिति
 समिति को क्या कहा जाता है: पेय जल एवं स्वच्छता समिति रसूलपुर
 अध्यक्ष का नाम: निहालुदीन
 लिंग: पुरुष
 आयु: _____

सदस्य का नाम _____ लिंग _____ आयु _____

मुल्लादीन
PC

ग्राम विकास अधिकारी पी.पी.
 एन.पी.
 रिजर्व-श्रीरंगगंज (उ.प्र.)



III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या 1529
 परिवारों की संख्या: 153
 महिलाओं की संख्या: 730
 पुरुषों की संख्या: 799
 बच्चों की संख्या 275
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: _____

वर्तमान पंचायत/ग्रामपंचायत विस्तार के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या 1681
 परिवारों की संख्या: 212
 महिलाओं की संख्या: 803
 पुरुषों की संख्या: 878
 बच्चों की संख्या: 302
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: _____

7. जनसंख्या अनुमान:

माध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोमीटर/दिन (के.एन.डी.) अंतिम चरण
 -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोमीटर/दिन (के.एन.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
धान	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
मक्का	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
कपास	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
गेहूँ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): _____

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
 (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
 (ग्राम कार्य योजना के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14. क्र. सं. - सार्वजनिक संस्था का नाम

क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	शौचालय मजूरी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1. स्कूल	नहीं	हाँ
2. ग्रामपंचायत	नहीं	हाँ
3. स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	हाँ
4. ग्राम पंचायत भवन	सुपरवाइजिंग AC	हाँ
5. अन्य		हाँ

ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत
 ग्राम - _____



पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 295.39 के.एल.डी.
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 9.41 के.एल.डी.
 मवेशी कुओं की आवश्यक संख्या: _____
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 395.56 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 389.91 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घकड़ो/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का घटना, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: तटीय पट्टी पर पानी की उपलब्धता में अंतर द्वारा जल सुरक्षा
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, खेत को मजबूत करने का इतिवृत्त
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: चुल्बुल, डांगरिया, पीलिया, गडिया, किडनी

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तरीका	परिणाम
मंदनी	दृश्य तुलना	1.86
पीएच	पट्टी रंग तुलना	7.84
पूर्ण सखता	टिट्रोमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	3.29
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फॉस्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
मंगनीय	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम: _____ धरती की संख्या: _____ आबादी: _____



स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बीरवल विधान संरचना है? (हो/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल स्रोतों की सूची जिनका उपयोग/संरक्षण कार्य किया जाना आवश्यक है।
 गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 132. ०० के.एल.डी.
 अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 13
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 15
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: _____
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): नहीं
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: नहीं
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरु की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर स्थानीय या घरतली जल वाले गाँवों में एस.बी.एस.
 - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.बी.एस.
 - वाटर चिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.बी.एस.
 - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: मौजूदा जल स्रोतों से तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: की चरौं ग्राम पंचायत रसुलपुर में की गयी।
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत रसुलपुर
 वह तरीका, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____
 योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%
 समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____
 वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवाँ दिवस आयोग	ग्राम पंचायत	वे-वाटर मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी)	पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	वे-वाटर मैनेजमेंट-सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एस.) एचक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	

ग्राम विकास अधिकारी

कुण्डीराम
PC



योजना का नाम	केंद्र/राज्य सरकार का विभाग	संबंधित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन आर.डब्ल्यू.एस./ कृषि फुलरिल, जल निष्कास का निर्माण वृद्धि आदि।	
जल संधारी की मजबूत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संरक्षण, नदी विकास और संग्रह संरक्षण विभाग	बड़े जल संधारी का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विभवस योजना (आर.के.टी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचनी योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सुकृष-सिंचनी का प्रावधान, एक्वीकरी से जल की निष्कास को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्योगिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध वित्तीय निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.ए.)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतःग्राम अवसंरचना	
एम.एस.ए.एस.ए.डी.	राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतःग्राम अवसंरचना	
दूरदस्त/प्रायोजक			

राज्य विकास विभाग
 राज्य के
 वि.सं. - बी.एस.एम. (नवम्बर)

दुर्गाशंकर
 P.C.



अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): Ujjj Bishwan Yadav ⑧

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर: सतीश चंद्र मिश्रा - 9452244292

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

- 1. पूर्णिमा सिंह पत्नी अंकुर सिंह — 7880359834
- 2. काशव सिंह " निर्मल सिंह — 9580631195
- 3. कुसुम " सोरभ तिवारी — 7307384527
- 4. सीरु " अक्षय तिवारी — 7860157136
- 5. मंजू देवी " जगत पाव — 7618834530

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

मोहम्मद साकिर खान फुल रईस मोहम्मद - 7800025670

ग्राम विभाग
ग्राम पंच
वि.सं. - श्रीदासगंज (बलरामपुर)

तुलसीराम
PC

